प्रशासनिक विभाग

कोरबा जिला में दो राजस्व अनुभाग है, जिसके अंतर्गत 5 विकास खंड हैं जो तहसील भी है। कोरबा जिले में कुल 717 ग्राम, 352 ग्राम पंचायतें, 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका, 3 नगर पंचायतें एवं 2036 बसाहट हैं।

क.	अनुभाग	विकास खंड/तहसील	ग्राम	ग्राम पंचायत	बसाहट	नगर निगम	नगर पालिका	नगर पंचायत
1	कोरबा	कोरबा	134	66	310	कोरबा		
		करतला	122	68	286			
2.	कटघोरा	कटघोरा	101	47	347		दीपका	कटघोरा, छुरी
		पाली	141	79	550			पाली
		पोंड़ीउपरोड़ा	219	92	570			
	2	5	717	352	2063	1	1	3

जनांकीकि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरबा जिला की जनसंख्या 1206563 है। कोरबा जिला की कुल जनसंख्या में से **41.5%** अ.ज.जा. एवं केवल **10%** अ.जा. वर्ग से है। महिला पुरूष अनुपात **971:1000** है।

क.	विवरण	कुल जनसंख्या			ग्रामीण			शहरी		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	जनसंख्या	612158	594405	1206563	380997	379363	760360	231161	215042	446203
2	साक्षर	441565	318588	760153	255037	174822	441565	186528	143766	318588
3	साक्षरता दर	83.88	62.26	73.22						

विकास खंडों में जनसंख्या एवं साक्षरता दर निम्नानुसार है:–

क.	विकास खंड	जनसंख्या	साक्षरता दर
1.	कोरबा	302765	68.85
2.	करतला	121251	60.15
3.	कटघोरा	274616	68.05
4.	पाली	158998	62.10
5.	पोंड़ीउपरोड़ा	164193	49.30
	योग	1206563	73.22

शैक्षणिक विभाग

कोरबा जिला आदिवासी जिला होने के कारण शैक्षणिक गतिविधि का संचालन आदिवासी विकास विभाग के पास है। परीक्षा एवं अन्य विशेष शैक्षणिक कार्यों का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला, विकास खंड, संकुल एवं शाला स्तर पर निम्नानुसार प्रशासनिक इकाई कार्यरत है:–

क.	विवरण	नाम	संख्या	विशेष
1.	जिला स्तरीय	जिला परियोजना कार्यालय	1	
2.	विकास खंड स्तरीय	विकास खंड स्रोत केंद्र	5+1	कोरबा शहर को अलग खंड बनाया गया है।
3.	संकुल स्तरीय	संकुल स्रोत केंद्र	118	
4.	शाला स्तरीय	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति	2139	

सांस्कृतिक गतिविधि

कोरबा जिला में आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों की अपनी संस्कृति है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी परम्परानुसार कार्यवाही सम्पन्न करते हैं। उनके पारिवारिक रीति–रिवाजों में शराब का उपयोग होता है, जो उन्हें वनों से प्राप्त होता है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है। वे वनोपज एवं कृषि मजदूरी से अर्थोपार्जन

करते हैं। उनके पास कृषि हेतु बहुत अधिक भूमि नहीं होती है। आर्थिक दृष्टि से गरीब होते हैं, इसके लिये गरीबी का मुख्य कारण अशिक्षा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में रात भर नृत्य करते रहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे बार नृत्य कहा जाता है।

कोरबा जिले में अन्य पिछड़े वर्ग जैसे यादव, महंत,भोई, कलार, रजक आदि जाति से संबंधित लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। ये अपने परम्परागत कार्य करते हुए जीवन यापन करते हैं।

कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम एवं इसाई मतावलंबियों की संख्या है जो अपनी संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन करते हैं।

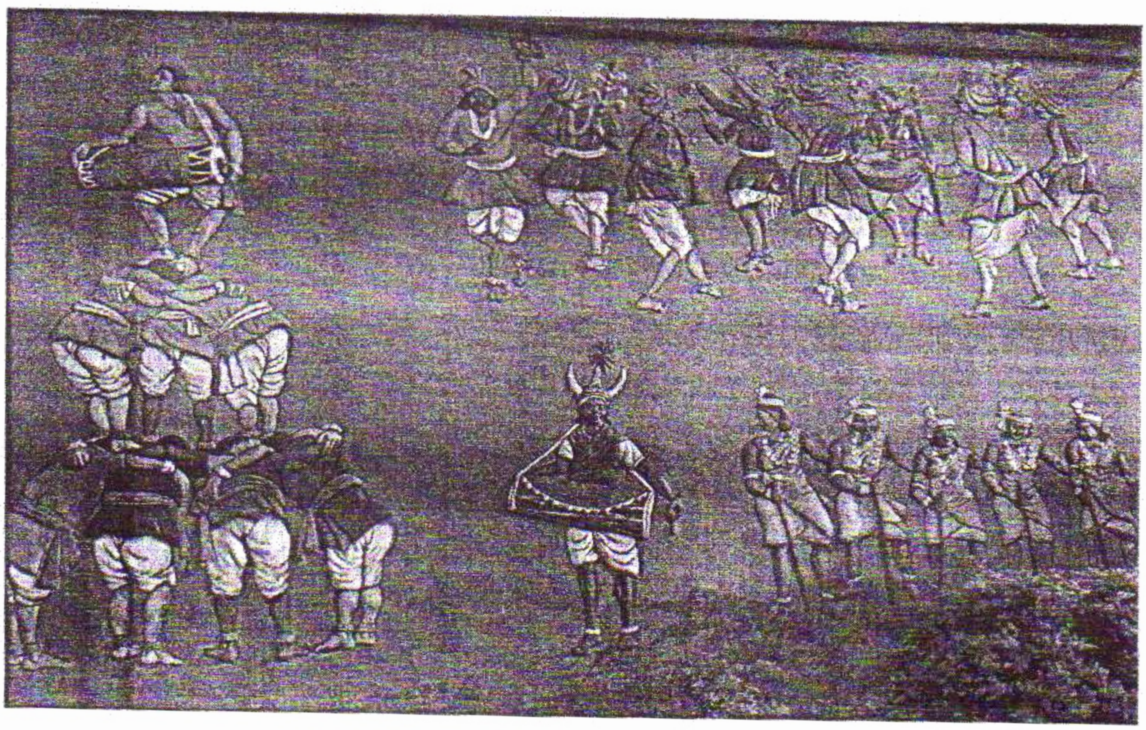

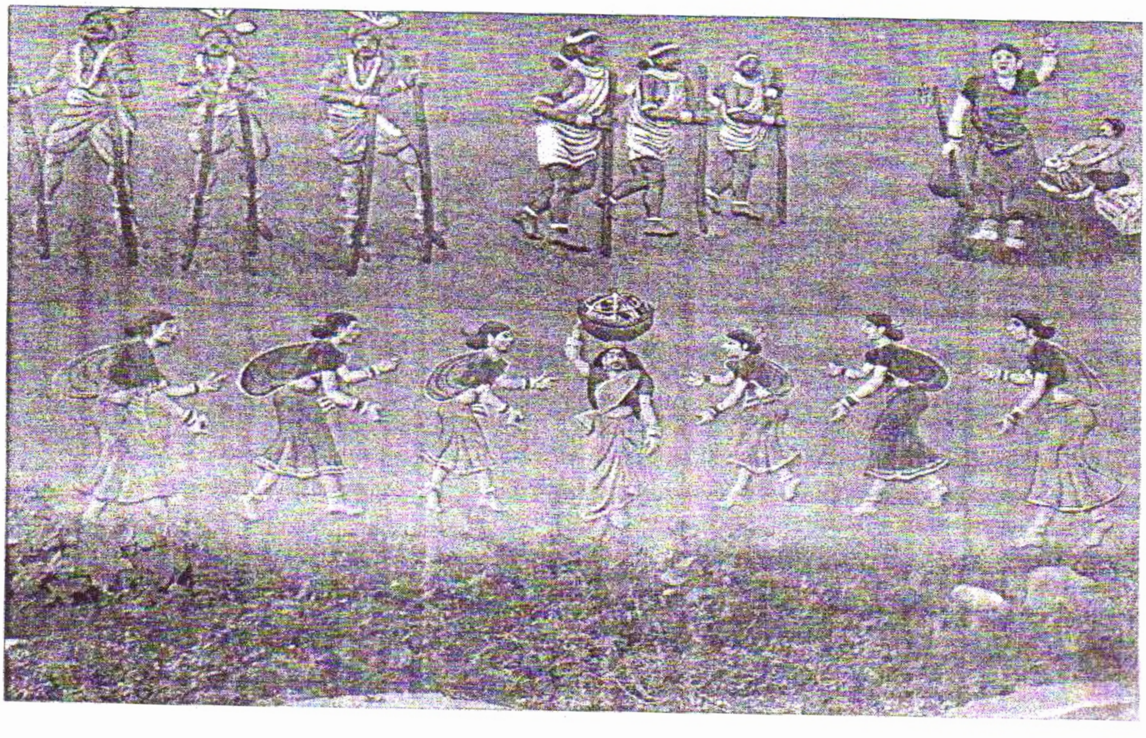

शैक्षिक प्रस्तावना

कोरबा जिला शैक्षिक रूप से पिछड़ा जिला था। आदिवासी विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक से हायर सेकेंड्री तक की शालाओं का संचालन किया जाता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत आवश्यकतानुसार शालायें प्रारंभ की गई। कोरबा जिला में वर्तमान में शालाओं की संख्या पर्याप्त है, जो निम्नानुसार है:—

शैक्षिक संस्थाओं की संख्या (निजी सहित)

क्र.	विकास खंड	प्राथमिक शाला	माध्यमिक शाला	हाई स्कूल	हायर सेकेंड्री	महाविद्यालय	तकनीकि विद्यालय	तकनीकि महाविद्यालय
1	कोरबा(श.)	127	48	16	20	5	3	2
2	कोरबा(ग्रा.)	277	68	19	27	2	0	0
3	करतला	252	88	15	17	3	1	0
4	कटघोरा	326	100	31	49	3	1	0
5	पाली	408	123	23	15	2	1	0
6	पोंड़ीउपरोड़ा	455	137	24	12	0	0	0
	योग	1845	564	128	140	15	6	2

शाला प्रबंधन प्रणाली

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का शत्–प्रतिशत् प्रवेश एवं शाला में नियमित बनाये रखते हुए उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शाला प्रबंधन प्रणाली विकसित किया गया है, जो निम्नानुसार है:—

संकुल स्रोत केंद्र

सर्व शिक्षा अभियान पूर्व सम्पूर्ण जिले में सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शिक्षा प्रणाली की देखरेख हेतु विकास खंड स्तर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ही होता था जिसके अधीनस्थ लगभग 500 शालायें होती थी, जिसका अनुवीक्षण सही ढंग से नहीं हो पाता था, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्रति 20 शासकीय शालाओं के लिये संकुल स्रोत केंद्र प्रारंभ किया गया। प्रत्येक माह सभी

शालाओं के शिक्षकों की बैठक संकुल स्तर पर होती है जहाँ उनके शिक्षक विधियों पर चर्चा होती है। अध्ययन–अध्यापन में आने वाली समस्याओं पर सार्थक चर्चा करते हुए समाधान किया जाता है। वर्तमान में संकुल स्रोत केंद्रों की संख्या 118 है जो निम्नानुसार है:–

क्र.	विकास खंड	संकुल स्रोत केंद्र	प्राथमिक शाला	माध्यमिक शाला	योग
1	कोरबा(श.)	5	59	36	95
2	कोरबा(ग्रा.)	19	260	67	327
3	करतला	18	241	87	328
4	कटघोरा	18	240	92	332
5	पाली	27	364	120	484
6	पोंड़ीउपरोड़ा	31	431	137	568
	योग	118	1595	539	2134

सामुदायिक सहभागिता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधियों में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सभी शालाओं के लिये शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति में कुल 16 सदस्य हैं, जो विद्यार्थियों के माता–पिता एवं स्थानीय शिक्षाविद, वरिष्ठ शिक्षक होते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभिभावकों में से तथा सदस्य संयोजक वरिष्ठ शिक्षक होता है। समिति की बैठक प्रत्येक माह शाला स्तर पर होती है, जिसमें शाला की गुणवत्ता, अधोसंरचना, शिक्षकों की समस्या, छात्रों की समस्या, शत–प्रतिशत छात्र प्रवेश आदि पर चर्चा कर सार्थक निर्णय लिया जाता है।

सकल सुविधा अनुपात

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सभी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक 1 कि.मी. में प्राथमिक शिक्षा सुविधा एवं 3 कि.मी/प्रत्येक 2 प्राथमिक शिक्षा के लिये 1 उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में जिले में सभी बच्चों के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रत्येक 3 कि.मी. तथा 2 प्राथमिक शाला के लिये उच्च प्राथमिक शाला का प्रावधान है। कोरबा जिले में कुछ बसाहटों में पर्याप्त छात्र संख्या नहीं होने के कारण 2 प्राथमिक शाला के लिये उच्च प्राथमिक शाला के मापदंड को पूर्ण नहीं किया जा सका है। उसी प्रकार प्रत्येक 1

कि.मी. में प्राथमिक शाला के प्रावधान को भी बच्चों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है। ऐसे बसाहटों की संख्या प्राथमिक स्तर के लिये 14 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिये 64 है। इन बसाहटों से संबंधित बच्चों के लिये नवाचारी शिक्षा अंतर्गत योजना की गई है।

Gross Access Ratio (Upper Primary)

Sno	Block	No. of existing MS	Habitations Not Covered	Proposed Upgradation in UPS	Total no. of MS	Present GAR in%
1	Kartla	86	6	0	86	100.00
2	Katghoara	92	5	0	92	100.00
3	Korba - R	67	3	0	67	100.00
4	Korba - U	37	4	0	37	100.00
5	Pali	120	5	0	120	100.00
6	Pondiuproda	137	3	0	137	100.00
	Total	539	26	0	539	100.00

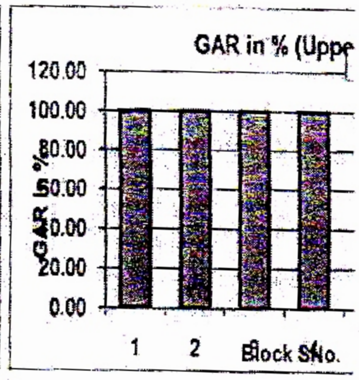

Gross Access Ratio (Primary)

Sno	Block	No. of existing PS/EGS	Habitations Not Covered	No. of New PS be started	Total no. of PS/EGS	Present GAR in%
1	Kartla	241	5	0	241	100.0
2	Katghoara	240	6	0	240	100.0
3	Korba -R	260	1	0	260	100.0
	Korba - U	59	0	0	59	100.0
5	Pali	364	0	0	364	100.0
6	Pondiuprod	431	2	0	431	100.0
	Total	1595	14	0	1595	100.00

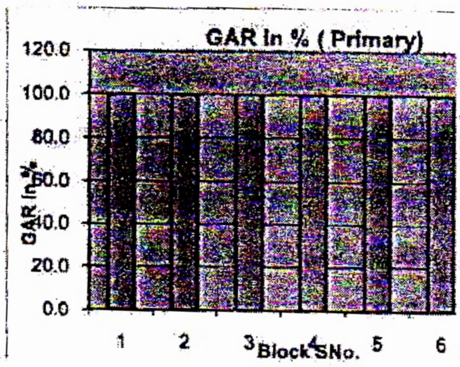

जिला-कोरबा में स्थित विद्यालयों की जानकारी

प्राथमिक शाला, वर्ष–2012

क्र.	विकास खण्ड का नाम	आदि.विकास	शि.विभाग	सर्व शि.विभाग	आदि.आश्रम	योग	कोरबा शहरी	कोरबा ग्रामीण	
1	कोरबा	204	11	97	7	319	59	260	816
2	कटघोरा	159	26	52	3	240		319	177
3	करतला	161	17	53	10	241			1141
4	पाली	170	17	167	10	364			2134
5	पोड़ी–उपरोड़ा	221	15	183	12	431			
	योगः–	915	86	552	42	1595			

पूर्व माध्यमिक शाला, वर्ष–2012

क्र.	विकास खण्ड का नाम	आदि.विकास	शि.विभाग	सर्व शि.विभाग	आदि.आश्रम	कस्तुरबागांधी आश्रम	मॉडल शाला	योग	कोरबा शहरी	कोरबा ग्रामीण
1	कोरबा	34	23	35	7	1	1	101	33	68
2	कटघोरा	27	22	42	0	1	1	93		101
3	करतला	47	14	23	3	1	1	89		
4	पाली	30	18	68	3	1	1	121		485
5	पोड़ी–उपरोड़ा	30	14	91	3	1	1	140		
	योगः–	168	91	259	16	5	5	544		

डाइट कोरबा का Vision

जिले के सभी शिक्षकों की कार्यप्रणाली व अध्यापन शैली में सुधार, व्यवसायिक क्षमता व दक्षता का विकास करना, शिक्षकों का आपसी समन्वय, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण, शिक्षक-छात्र व समुदाय में आपसी सामंजस्य स्थापित करना, सभी विद्यालयों को आनंददायी व गुणवत्ता युक्त शिक्षा का केन्द्र बनाना जिससे सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और पालक जागरुक नागरिक की भूमिका अदा करें।

विजन के शब्दार्थ

1. शिक्षकों के अध्यापन शैली एवं कार्यप्रणाली में सुधार - कार्य की स्पष्ट समझ बेहतर अध्यापन के तरीके, विषय में कुशलता तथा कार्य के प्रति समर्पण का भाव।
2. व्यवसायिक क्षमता व दक्षता - शिक्षकों के मन में अपने कार्य को व्यवसाय समझने की भावना विकसित करना।
3. विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण - सभी विद्यालयों में बागवानी, फुलवारी व वृक्षारोपण के प्रति रुचि जागृत करना।
4. समन्वय व सहभागिता से गुणवत्ता युक्त शिक्षा - शिक्षक-शिक्षक, शिक्षक-छात्र व शिक्षक-समुदाय में समन्वय स्थापित कर शिक्षा संबंधी कार्यों में समुदाय को सहभागी बनाना, विद्यालय में आनंददायी वातावरण निर्मित करना व गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना।
5. सर्वांगीण विकास - सभी बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक विकास करना।

विजन पथ

प्रशिक्षण,कार्यशाला,सेमीनार,शोध व नवाचार,सतत् मॉनिटरिंग,सुपर विजन

↓

शिक्षकों की अध्यापन शैली व कार्य प्रणाली में सुधार होगा

↓

व्यावसायिक क्षमता व दक्षता में विकास होगा

↓

विद्यालयों का सौंदर्यीकरण होगा

↓

विद्यालय के आन्नददायी वातावरण में बच्चों का सर्वांगींण विकास होगा

विजन एप्रोच प्रोसेस

1.शिक्षा का अधिकार
2.विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन
3.अभिप्रेरणा संवर्धन
4.संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन
5. एडेप्ट्स लेबल–4
6.शिशु शिक्षा एवं देखभाल
7.समावेशी शिक्षा / बालिका शिक्षा / लिंग समानता
8.स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
9.नेतृत्व क्षमता का विकास
10.संसाधन केन्द्र की स्थापना
11.मानिटरिंग एवं सुपरविजन
12. आकलन,मूल्यांकन व समीक्षा

प्राचार्य
डाइट कोरबा

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट कोरबा

डाईट कोरबा के सात प्रभाग एवं उसके प्रभारी –

क्र.	प्रभाग के नाम	प्रभारी	सह प्रभारी
1	सेवा पूर्व प्रशिक्षण	श्री आर.एच.शराफ	श्री पी.सी.पटेल श्री जी.एस.डिक्सेना
2	सेवाकालीन प्रशिक्षण + जिला स्त्रोत इकाई	श्रीमती एच.एस.लकरा	श्री पी.के.कौशिक श्रीमती जी. कुमार
3	योजना एवं प्रबंधन + पाठ्यक्रम एवं सामग्री निर्माण	श्री आर.के.तिवारी	श्री पी.के.कौशिक श्री पी.सी.पटेल
4	कार्यानुभव	श्रीमती एम.ए.एक्का	श्री यू.पी.साहू श्रीमती पी.प्रधान
5	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	श्री आर.के.पशीने	श्री जी.एस.डिक्सेना श्रीमती पी.प्रधान
6	खेलकूद एवं बागवानी	श्री डी.डी.रात्रे	श्री एस.के.कटकवार श्री एन.पी.राठौर

प्राचार्य
डाइट कोरबा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
नया रायपुर
===0===
//आदेश//

क्रमांक 10856
दिनांक 13.12.12

रायपुर, दिनांक ....

क्रमांक एफ 17–67/2012/20–एक :: केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एव साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा जारी 1989 के गाइड लाइन एवं शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र प्रवर्तित योजना का पुर्नसंरचना एवं पुनर्गठन जून 2012 के तहत राज्य शासन एतद् द्वारा जिला कार्यक्रम सलाहकार समिति District Programme Advisory Committee (PAC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत – उपाध्यक्ष
3. जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
4. जिला परियोजना समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान (SSA) एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) – सदस्य
5. डाइट के दो वरिष्ठ अकादमिक सदस्य – सदस्य
6. दो स्कूल के प्रधानाध्यापक – सदस्य
7. आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्यक विभाग से एक प्रतिनिधि – सदस्य
8. एक विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक (BRCC) – सदस्य
9. एक संकुल केन्द्र स्त्रोत समन्वयक (CRCC) – सदस्य
10. एक प्राचार्य अशासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (डी.एड. एवं बी.एड.) – सदस्य
11. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान (IASE) – सदस्य
12. प्राचार्य, शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय (CTE) – सदस्य
13. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्के प्रतिनिधि – सदस्य
14. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जिले में कार्यरत एक एन.जी.ओ. – सदस्य
15. दो छात्र सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) – सदस्य
16. प्राचार्य, डाइट – सदस्य सचिव

सदस्यों का नामांकन संबंधित जिलें की समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

1. डाइट के योजनाओं, कार्यक्रमो एवं गतिविधियों की प्रभावकारी बनाने हेतु सलाह एव मार्गदर्शन प्रदान करना।

2. डाइट के वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन एवं इसके क्रियान्वयन की मानिटरिंग हेतु समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित की जाएगी।

उद्देश्य :–

1. डाइट अपने जिलें की आवश्यकतानुरूप कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर केन्द्रित हो सकें।
2. शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।
3. नवाचार को बढ़ावा देना।
4. यह सुनिश्चित करना राज्य की शिक्षा योजना पूर्णतः जिला के योजनाओं में परिलक्षित हो।
5. जिले की शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा की आवश्यकता को संबोधित करने वाले संस्थान एवं व्यक्तियों का उपयुक्त उपयोग करना।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एन. रामूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 17–67 / 2012 / 20–एक   रायपुर, दिनांक 24/11/12

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सहायक, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छ.ग., रायपुर।
6. संचालक, समाज कल्याण विभाग, रायपुर।
7. संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, शैलेन्द्र नगर, रायपुर।
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीगसगढ़।
10. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
11. संबंधित ....

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10351
27.11.12

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग